

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 916]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2014/वैशाख 2, 1936

No. 916]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2014/VAISAKHA 2, 1936

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

का. आ. 1111(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन), 2012 (2012 के 37) द्वारा यथा संशोधित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 के 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खण्डों (घ) एवं (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भोपाल में श्री एस. के श्रीवास्तव और श्री केशव देसीराजु क्रमशः के स्थान पर श्री गौतम गुहा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणमंत्रालय, नई दिल्ली और श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को सदस्य के रूप में नामांकित करती है और इसके लिए दिनांक 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (ii) देखें का. आ. 2011(अ) में प्रकाशित दिनांक 2 जुलाई, 2013 के अधिसूचना संख्या जैड-28016/42/2013-एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 4 एवं 7 तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. एवं प्रविष्टि रखी जानी चाहिए,

अर्थात्:-

- “4. श्री गौतम गुहा,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”
- “7. श्री लव वर्मा
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”

[फा. सं. जैड-28016/42/2013-एसएसएच]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का. आ. 2011(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2014

S.O. 1111(E).—In exercise of powers conferred by Clauses (d) & (e) of section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Gautam Guha, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and Sh. LovVerma, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, Bhopal in place of Shri S.K. Srivastava and Sh. Keshav Desiraju respectively and for that purpose makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (ii) vide S.O. 2011(E) dated the 2nd July, 2013:

In the said notification, for serial numbers 4 & 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

- “4. Shri Gautam Guha,
Additional Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.”

“7. Shri Lov Verma,
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi”

[F. No. Z-28016/42/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India Vide S.O. 2011(E) dated 2nd July, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

का. आ. 1112(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन), 2012 (2012 के 37) द्वारा यथा संशोधित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 के 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खण्डों (घ) एवं (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर में श्री एस. के श्रीवास्तव और श्री केशव देसीराजु क्रमशः के स्थान पर श्री गौतम गुहा, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को सदस्य के रूप में नामांकित करती है और इसके लिए दिनांक 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (ii) देखें का. आ. 2012(अ) में प्रकाशित दिनांक 2 जुलाई, 2013 के अधिसूचना संख्या जैड-28016/42/2013-एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है:—

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 4 एवं 7 तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. एवं प्रविष्टि रखी जानी चाहिए,

अर्थात्:-

- “4. श्री गौतम गुहा,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”
- “7. श्री लव वर्मा
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”

[फा. सं. जैड-28016/42/2013-एसएसएच]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का. आ. 2012(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATIONNew Delhi, the 11th April, 2014

S.O. 1112(E).—In exercise of powers conferred by Clauses (d) & (e) of Section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Gautam Guha, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and Sh. LovVerma, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, Bhubaneswar in place of Shri S.K. Srivastava and Sh. KeshavDesiraju respectively and for that purpose makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (ii) vide SO 2012(E) dated the 2nd July, 2013:

In the said notification, for serial numbers 4 & 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

- “4. Shri Gautam Guha,
Additional Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.”
- “7. Shri LovVerma,
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi”.

[F. No. Z-28016/42/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note:The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide SO 2012(E) dated 2nd July, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

का. आ. 1113(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन), 2012 (2012 के 37) द्वारा यथा संशोधित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 के 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खण्डों (घ) एवं (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जोधपुर में श्री एस. के श्रीवास्तव और श्री केशव देसीराजु क्रमशः के स्थान पर श्री गौतम गुहा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को सदस्य के रूप में नामांकित करती है और इसके लिए दिनांक 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (ii) देखें का. आ. 2013(ङ) में प्रकाशित दिनांक 2 जुलाई, 2013 के अधिसूचना संख्या जैड-28016/42/2013-एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 4 एवं 7 तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. एवं प्रविष्टि रखी जानी चाहिए,

अर्थात्:-

- “4. श्री गौतम गुहा,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”
- “7. श्री लव वर्मा
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”

[फा. सं. जैड-28016/42/2013-एसएसएच]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचनी का. आ. 2013(ड), दिनांक 2 जुलाई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

NewDelhi, the 11th April, 2014

S.O. 1113(E).—In exercise of powers conferred by Clauses (d)& (e) of Section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences(Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Gautam Guha, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and Sh. LovVerma, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, Jodhpur in place of Shri S.K. Srivastava and Sh.Keshav Desiraju respectively and for that purpose makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (ii) vide SO 2013(E) dated the 2nd July, 2013:

In the said notification, for serial numbers 4 & 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

- “4. Shri Gautam Guha,
Additional Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.”
- “7. Shri Lov Verma,
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi”.

[File No. Z-28016/42/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide SO 2013(E) dated 2nd July, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

का. आ. 1114(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन), 2012 (2012 के 37) द्वारा यथा संशोधित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 के 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खण्डों (घ) एवं (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में श्री एस. के. श्रीवास्तव और श्री केशव देसीराजु क्रमशः के स्थान पर श्री गौतम गुहा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को सदस्य के रूप में नामांकित करती है और इसके लिए दिनांक 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (ii) देखें का. आ. 2014(ङ) में प्रकाशित दिनांक 2 जुलाई, 2013 के अधिसूचना संख्या जैड-28016/42/2013-एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 4 एवं 7 तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. एवं प्रविष्टि रखी जानी चाहिए,

अर्थात्:-

- “4. श्री गौतम गुहा,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”
- “7. श्री लव वर्मा
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”

[फा. सं. जैड-28016/42/2013-एसएसएच]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का. आ. 2014(ङ), दिनांक 2 जुलाई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2014

S.O. 1114(E).—In exercise of powers conferred by Clauses (d)& (e) of section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Gautam Guha, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and Sh. LovVerma, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, Patna in place of Shri S.K. Srivastava and Sh. Keshav Desiraju respectively and for that purpose makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (ii) vide SO 2014(E) dated the 2nd July, 2013:

In the said notification, for serial numbers 4 & 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

- “4. Shri Gautam Guha,
Additional Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.”
- “7. ShriLovVerma,
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi”

[F. No. Z-28016/42/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide S.O. 2014(E) dated 2nd July, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

का. आ. 1115(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन), 2012 (2012 के 37) द्वारा यथा संशोधित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 के 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खण्डों (घ) एवं (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर में श्री एस. के श्रीवास्तव और श्री केशव देसीराजु क्रमशः के स्थान पर श्री गौतम गुहा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को सदस्य के रूप में नामांकित करती है और इसके लिए दिनांक 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (ii) देखें का. आ. 2015(अ) में प्रकाशित दिनांक 2 जुलाई, 2013 के अधिसूचना संख्या जैड-28016/42/2013-एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 4 एवं 7 तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. एवं प्रविष्टि रखी जानी चाहिए,

अर्थात्:-

- “4. श्री गौतम गुहा,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”
- “7. श्री लव वर्मा
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”

[फा. सं. जैड-28016/42/2013-एसएसएच]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का. आ. 2015(अ), दिनांक 2 जुलाई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2014

S.O. 1115(E).—In exercise of powers conferred by Clauses (d) & (e) of section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Gautam Guha, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and Sh. Lov Verma, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, Raipur in place of Shri S.K. Srivastava and Sh. Keshav Desiraju respectively and for that purpose makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (ii) vide SO 2015(E) dated the 2nd July, 2013:

In the said notification, for serial numbers 4 & 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

- “4. Shri Gautam Guha,
Additional Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.”
- “7. Shri Lov Verma,
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi”

[F. No. Z-28016/42/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide SO 2015 (E) dated 2nd July, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2014

का. आ. 1116(अ).—अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन), 2012 (2012 के 37) द्वारा यथा संशोधित, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 के 25) की धारा 6 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 4 के खण्डों (घ) एवं (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश में श्री एस. के. श्रीवास्तव और श्री केशव देसीराजु क्रमशः के स्थान पर श्री गौतम गुहा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली और श्री लव वर्मा, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नई दिल्ली को सदस्य के रूप में नामांकित करती है और इसके लिए दिनांक 2 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र के भाग-II खंड-3, उप-खंड (ii) देखें का. आ. 2016(ङ) में प्रकाशित दिनांक 2 जुलाई, 2013 के अधिसूचना संख्या जैड-28016/42/2013-एसएसएच में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना में क्र. सं. 4 एवं 7 तथा तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. एवं प्रविष्टि रखी जानी चाहिए,

अर्थात्:-

- “4. श्री गौतम गुहा,
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”
- “7. श्री लव वर्मा
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
नई दिल्ली।”

[फा. सं. जैड-28016/42/2013-एसएसएच]

संदीप कुमार नायक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना का. आ. 2016(अ), 2 जुलाई, 2013 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2014

S.O. 1116(E).—In exercise of powers conferred by Clauses (d) & (e) of section 4, read with Sub-section (3) of Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates Sh. Gautam Guha, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi and Sh. Lov Verma, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi to be a member of All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh in place of Shri S.K. Srivastava and Sh. Keshav Desiraju respectively and for that purpose makes the following amendments in the notification of Government of India in the Ministry of Health & Family Welfare, number Z-28016/42/2013-SSH dated the 2nd July, 2013, published in the Gazette of India Part II, section 3, Sub-section (ii) vide SO 2016(E) dated the 2nd July, 2013:

In the said notification, for serial numbers 4 & 7 and the entries relating thereto, the following serial number and entry should be substituted, namely:-

- “4. Shri Gautam Guha,
Additional Secretary & Financial Advisor,
Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi.”
- “7. Shri Lov Verma,
Secretary, Ministry of Health and Family Welfare,
New Delhi”

[F. No. Z-28016/42/2013-SSH]

SUNDEEP KUMAR NAYAK, Jt. Secy.

Foot Note: The Principal notification was published in the Gazette of India (E) Vide S.O. 2016(E) dated 2nd July, 2013.